रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 1971/फाल्गुन 24, 1892

No. 37] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 1971/PHALGUNA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March 1971

No. 37/1/1/71/T.—The following order by the President, dated the 15th March 1971, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Friday, the 19th March, 1971 at 11 A.M.

V. V. GIRI,
President."

March 15, 1971.

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1971

संख्या 37/1/1/71/डी०.—राष्ट्रपति का दिनांक 15 मार्च, 1971 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा को शुक्रवार, 19 मार्च, 1971, को 11 बजे म० पू० नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
15 मार्च, 1971 राष्ट्रपति ।"

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971